राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3144/2025

परसा राम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.06.2025
आदेश की दिनांक : 21.07.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Loharana, जिला नागौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति पश्चात राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, परबतसर, नागौर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा पदोन्नति के मद्देनजर उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2536/2025 दायर की, जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक

02.05.2025 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर उचित विचार किये बिना खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी के पिता 75 वर्ष के हैं, जो लकवा की बीमारी से पीड़ित हैं। अपीलार्थी की माता 70 वर्ष की है और दुर्घटना के कारण उनके दोनो पैर टूट गये हैं। अपीलार्थी ने इन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते पदोन्नति परित्याग का निवेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष किया जा चुका है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.06.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 12.04.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को निरंतर कार्यरत रखा जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Loharana, जिला नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है। पदोन्नति परित्याग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्य पीठ में दायर समान प्रकरण एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 8761/2025 श्रीमती वर्मालता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 द्वारा निम्न दिशा निर्देश पारित करते हुए समान प्रकृति के मामलों में परित्याग हेतु आदेशित किया है जो निम्नानुसार हैः–

"**44. The writ petitions are therefore, disposed of with the following directions:**

(i) The petitioners shall be at liberty to file an application in writing, exercising their option to forego the promotion, within a period of 15 days from now.

(ii) The application shall be filed in writing clearly indicating the option to forego the promotion. The consequences of the said exercise of option, in terms of Rule 33 of the Rules of 2021, would follow.

(iii) The petitioners shall, along with their application, be under an obligation to file a specific undertaking to the effect that they would be governed by Rule 33 of the Rules of 2021 and would not raise any grievance qua the same, in future.

(iv) The petitioners shall also be under an obligation to file a specific undertaking to the effect that they will not claim any monetary or other benefit of the promotional post on which they had joined in pursuance to order dated 17.12.2024.

(v) The petitioners shall further undertake that any benefit, if any, availed by them because of their joining on the promotional post, shall be refunded back by them whenever called upon to do so by the respondents-Authorities.

(vi) The decision on the applications as filed by the petitioners would be taken by the competent Authority positively within a period of four weeks of filing of the applications.

(vii) Till the applications as filed by the petitioners are decided, the petitioners shall continue on their present place of posting deeming them to be working on the post of 'Sr. Teacher', as they were working before being promoted.

(viii) Those petitioners who have been relieved after the orders of posting been passed, would also be entitled to file an application in writing to forego their promotion and the said applications shall also be decided in terms of the above directions.

The said petitioners shall, till the date their application is decided, be entitled to be reverted back to their original place of posting i.e. on the post which they were working before being promoted.

Needless to observe that they would be reverted only if the said seat is vacant as of date.

ix) Those petitioners who, after having been provided the place of posting, joined in pursuance to the same, would also be entitled to move an application in writing in terms of direction No.1 and the consequences shall follow."

6. उभय पक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के अनुसार अपील निस्तारित करने हेतु सहमत है।

7. हम यह पाते है कि उपरोक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की श्रेणी में आता है। अतः उक्त अपील का माननीय उच्च न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 8761/2025 श्रीमती वर्मालता बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में निर्णित करते है एवं उभय पक्ष को तद्नुसार कार्यवाही हेतु आदेशित करते है। अपीलार्थी अपना पदोन्नति परित्याग का आवेदन इस आदेश के 15 दिवस के भीतर प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करे एवं प्रत्यर्थी विभाग प्रस्तुत आवेदन को आगामी 15 दिवस में निस्तारित करे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि

अपीलार्थी को तब तक वही कार्यरत रखा जावे। जहां वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

8. उपरोक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष